मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. 954 /MGNREGS-MP/NR-1/14 भोपाल, दिनांक 29/01/2014

प्रति,

1. कलेक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वयक
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी / अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
   जिला/जिला पंचायत –..... (समस्त) मध्यप्रदेश।

विषयः– महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत वनक्षेत्र में रहने वाले जॉबकार्डधारी अनुसूचित जनजाति वर्ग के परिवारों को अतिरिक्त 50 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने विषयक।

संदर्भः– संयुक्त सचिव, (मनरेगा) ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार का पत्र क्र. – J-11011/1/2009-MGNREGA दिनांक 07-01-2014

—0—

संयुक्त सचिव (मनरेगा), ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार के संदर्भित संलग्न पत्र का अवलोकन करें। पत्रानुसार वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत वनक्षेत्र में निवासरत अनुसूचित जनजाति के परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त 50 दिवस का रोजगार प्राप्त करने की पात्रता होगी। इस हेतु यह आवश्यक होगा कि परिवार के पास वन अधिकार अधिनियम 2006 में उपलब्ध कराई गई भूमि अधिकार के अतिरिक्त अन्य कोई निजी सम्पत्ति नहीं होगी। इस प्रकार, उपलब्ध कराए गए अतिरिक्त 50 दिवस के रोजगार के मजदूरी की राशि भारत सरकार द्वारा वहन की जावेगी।

कृपया संदर्भित पत्र में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें। यह भी सुनिश्चित करें कि उक्त निर्देशों की प्रति जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत में उपलब्ध हो एवं दिए गए निर्देशों का जिले में व्यापक प्रचार–प्रसार हो।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(अरूण शर्मा)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग